धारा 48 : माल और सेवा कर व्यवसायी

(1) माल और सेवा कर व्यवसायियों के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, उन्हें हटाने की रीति तथा अन्य ऐसी शर्तें, जो उनके कार्यकरण के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे [1][.....] और धारा 39 या धारा 44 या 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए [2][और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए] प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी में प्रस्तुत किसी विशिष्ट या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।

उपयुक्त नियमः नियम 83, 83क, 83ख एवं 84

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी पीसीटी–01, जीएसटी पीसीटी–02, जीएसटी पीसीटी–03, जीएसटी पीसीटी–04, जीएसटी पीसीटी–05, जीएसटी पीसीटी–06 एवं जीएसटी पीसीटी–07

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा '', धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।